यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखंड हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखंड हरिद्वार के माह 12/2017 से 10/2020 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.11.2020 से 03.12.2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार पाल, लेखापरीक्षक द्वारा दिनाँक 22.12.2017 से 28.12.2017 तक श्री प्रेम चन्द वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी जिसमे 11/2015 से 11/2017 तक के लेखाओं की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखा परीक्षा मे माह 12/2017 से 10/2020 तक के लेखाओं की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः हरिद्वार

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत
2017-18	-	-	1115.13	1095.55	36.64	30.35	-	19.58	-	6.29
2018-19	-	-	1693.93	1652.42	40.09	38.54	-	41.51	-	1.55
2019-120	-	-	1775.48	1775.48	57.77	54.98	-	-	-	2.79

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

पुलिस अधीक्षक
अपर पुलिस अधीक्षक
प्रतिसार निरीक्षक रेलवेज
उपनिरीक्षक रेलवेज
प्रधान लिपिक रेलवेज
आंकिक रेलवेज

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखंड हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखंड हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। मई 2019, एवं जुलाई 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13**,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

<u>शून्य</u>

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 01:- रेलवे विभाग के विरुद्ध ₹11.30 करोड़ की प्रतिपूर्ति की धनराशि लम्बित रहना।

रेलवे परिसरों मे कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने एवं यात्रियों की सुरक्षा हेतु जनवरी 2015 मे कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखण्ड की स्थापना की गयी जिसका मुख्यालय हरिद्वार मे रखा गया। राजकीय रेलवे पुलिस एक स्वतन्त्र पुलिस बल के रूप मे कार्य करती है जिसकी सम्पूर्ण राज्य मे 04 थाने एवं 05 रिपोर्टिंग चौकियाँ है। शासनादेश संख्या -डी०जी०-सात-207-2005(4) दिनांक 6.4.2005 के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस बल मे कार्यरत कर्मचारियों पर आने वाले व्ययभार के 50 प्रतिशत भाग की प्रतिपूर्ति भारतीय रेलवे विभाग द्वारा की जानी है तथा शेष 50 प्रतिशत व्ययभार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था।

उपर्युक्त से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध रु० 11.30 करोड़ की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु लम्बित है। उपर्युक्त के सम्बंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि माह नवम्बर 2020 मे रेलवे विभाग को प्रतिपूर्ति हेतु पत्र भेजा है। उक्त प्रकरण शासन/पुलिस मुख्यालय के संज्ञान मे लाया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इससे पूर्व कार्यालय द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों पर हुये व्यय का समस्त भार राज्य सरकार पर पड़ा है।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 02:- अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत ₹10.93 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किया जाना।

भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-688/XXXVVIII-04-2018-4/2008 सितम्बर 2018 संशोधित शासनादेश संख्या-(1)XXXVVUUU-3-2020 मई 2020 उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सीय उपचार को प्रभावी बनायें जाने हेतु दरों निम्न दरों पर प्रतिमाह वेतन अंशदान नियमानुसार किया जायेगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 100 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 10/2020 तक रू 250/-प्रतिमाह।
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 200 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 10/2020 तक रू 450/-प्रतिमाह।
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 300 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 10/2020 तक रू 650/-प्रतिमाह।
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 400 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 10/2020 तक रू 1000/-प्रतिमाह।

विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण-वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के खातें में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखण्ड, हरिद्वार अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की वेतन से SGHS अंशदान माह 09/2018 से माह 10/2020 तक ₹10.93 लाख की कटौती नही की जा रही (विवरण संलग्नक) है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा स्वीकार किया गया कि शासनादेश निर्गत होने के पश्चात अविलम्ब ही कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से SGHS अंशदान की कटौती सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत ₹10.93 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- अनुमन्य मद के विपरीत ₹1.51 लाख अन्य मदों में व्यय किया जाना।

शासनादेश संख्या-136/XXXII(I)/2014 दिनांक 27 दिसंबर 2017 के अनुसार मद 47 के अन्तर्गत कम्प्यूटर अनुरक्षण, मद 12 के अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण एवं 46 के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर क्रय किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखण्ड, हरिद्वार के वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (अक्टूबर 2020 तक) के बाउचर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा व्यापवर्तन कर धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत मद के अन्तर्गत व्यय न करके अन्य मदों से व्यय किया गया था, जो कि अनुमन्य नही है। ऐसे किये गये व्यय का विवरण निम्न हैः-

क्र.सं.	**बिल सं.**	**दिनांक**	**मद जिसमें व्यय किया गया**	**अनुमन्य मद**	**धनराशि**
01	646	21.07.2018	08 कार्यालय व्यय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण	11910
02	2052	19.08.2019	08 कार्यालय व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	134992
03	1503	27.01.2020	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण	46 कम्प्यूटर हाडवेयर	4349
योग					151251

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त सारणी में उल्लेखित व्यय धनराशि रू 1.51 लाख में नियमें का उल्लंघन कर आवंटत मदों की धनराशि को व्यावर्तन कर अन्य मदों के अन्तर्गत किया गया था, जो कि शासनादेश का उल्लंधन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा स्वीकार किया गया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः अनुमन्य मद के विपरीत रू. 1.51 लाख अन्य मदों में व्यय करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या
68/2017-18	शून्य	प्रस्तर-1 मोटरयान के अंतर्गत चालान किए गये वाहनो से रु० 9600/-कम वसूल किया जाना।	अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के अनुमोदनोपरांत कार्यालय महालेखाकार (लेख परीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित की जाएगी।

भाग-IV

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री रोशन लाल शर्मा	पुलिस अधीक्षक	23.9.2016 से 31.1०.19
(ii)	श्री मंजू नाथ टी० सी०	पुलिस अधीक्षक	01.11.2019 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति पुलिस अधीक्षक रेलवेज उत्तराखण्ड हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप महालेखाकार/ए०एम०जी०-III, कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-III